प्रेस-नोट

जनपद-भदोही

दिनांक: 02.09.2026

√नकली आभूषण गिरवी रखकर धोखाधड़ी से लोन प्राप्त करने वाले गिरोह में शामिल अभियुक्त , 06 माह के लिए जनपद सीमा से निष्कासित

√जिला बदर अभियुक्त के निवास स्थान पर डुगडुगी बजाकर किया गया सार्वजनिक मुनादी

श्री अभिनव त्यागी पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक भदोही *श्री शुभम अग्रवाल* के पर्यवेक्षण में भदोही पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार शातिर अपराधी पल्टू उर्फ आनन्द सेठ पुत्र मुरली सेठ निवासी: वार्ड नं0-22 कालीदेवी मीरजापुर रोड हनुमानगढ़ी कैम्ब्रिज अकादमी के पास, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर डुगडुगी बजाकर तथा सार्वजनिक मुनादी कराते हुए जिला बदर के आदेश की कड़ाई से तामील कराई गई।

उक्त अभियुक्त एक शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है। इसने अपने संगठित गिरोह और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से बैंकों में नकली सोने के नकली आभूषण गिरवी रखकर धोखाधड़ी से लोन (ऋण) प्राप्त किया था। जांच के दौरान आभूषण नकली पाए जाने पर इसके खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी और वित्तीय नुकसान पहुँचाने के कई गंभीर मुकदमे (धारा 419, 420, 120बी, 467, 468, 471 भा0द0वि0) दर्ज हैं। इसके आतंक के कारण क्षेत्र की जनता इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाती थी। अभियुक्त पल्टू उर्फ आनन्द सेठ को दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए जनपद भदोही की भौगोलिक सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। निष्कासन के बाद उसे अपने गन्तव्य (जिस जिले में वह रहेगा) स्थान की सटीक सूचना संबंधित थाने के प्रभारी को देनी होगी। निष्कासन की इस अवधि में वह पूरी तरह से अपना आचरण ठीक रखेगा तथा अपने साथ किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (हथियार) लेकर नहीं चलेगा। यदि अभियुक्त बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के जनपद भदोही की सीमा में प्रवेश करता है, तो थाना प्रभारी द्वारा उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। भदोही पुलिस आम जनमानस की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखेगी।